

प्रेषक,

डा० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

सेवा में,

सचिव,
इन्टरनेशनल सोसायटी फॉर मोरल एण्ड ऐकडमिक कन्ससनेस,
पत्राचार का पता-विद्यापीठ चौक, इंग्लिश वार्ड नं०-02
लखीसराय, पिन कोड-811311

पटना, दिनांक :- / / 2025

विषय :- सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मसी, बायपास रोड, लखीसराय को बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, इन्टरनेशनल सोसायटी फॉर मोरल एण्ड
ऐकडमिक कन्ससनेस, लखीसराय के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मसी,
बायपास रोड, लखीसराय में बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति
प्रमाण-पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

2. इस परिप्रेक्ष्य में संस्थान के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश सं०-23(17) दिनांक-
08.01.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया।

3. जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्था (विनियमन और
नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निहित प्रावधानों के अधीन सुनैना कॉलेज
ऑफ फार्मसी, बायपास रोड, लखीसराय को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) के
विनियमों/मानकों/प्रावधानों के शर्ताधीन सत्र-2023-2024 से बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर
पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु मान्यता/ अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) अगले आदेश तक
प्रदान किया जाता है।

4. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अवमाननावाद संख्या-2482/2024 में माननीय उच्च न्यायालय,
पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में प्रदान की जा रही है, जिसे किसी अन्य संस्थानों द्वारा
पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं माना जायेगा।

5. विदित हो की प्रदेश में संचालित फार्मसी संस्थानों की गुणवत्ता/प्रशिक्षण व्यवस्था के बिन्दु
पर लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को देखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व से संचालित सभी फार्मसी
संस्थानों की गुणवत्ता/प्रशिक्षण व्यवस्था की जाँच भारतीय गुणवत्ता परिषद् से कराने का निर्णय लिया
गया है। भविष्य में भारतीय गुणवत्ता परिषद् (QCI) द्वारा यदि संस्थान का प्रतिकूल जाँच प्रतिवेदन
उपलब्ध करायी जाती है, तो संस्थान के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकेगी।

6. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वरामभाजन

(डा० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना

संसा-17/एफ 1-13/2020 - 788 (17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शिशिर कुमार मिश्रा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
इन्टरनेशनल सोसायटी फॉर मोरल एण्ड ऐकडमिक कन्सर्नेस,
पत्राचार का पता-विद्यापीठ चौक, इंग्लिश वार्ड नं०-02
लखीसराय, पिन कोड-811311

पटना, दिनांक :- 03/12/2021

विषय - सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मसी, बायपास रोड, लखीसराय को डी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, इन्टरनेशनल सोसायटी फॉर मोरल एण्ड ऐकडमिक कन्सर्नेस, लखीसराय के पत्रांक-ISM/07/2020-21 दिनांक-23.05.2020 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मसी, बायपास रोड, लखीसराय में डी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

इस परिप्रेक्ष्य में संस्थान के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश सं०-1171(17) दिनांक-16.12.2020 द्वारा चार सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था।

जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्था (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निहित प्रावधानों के अधीन सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मसी, बायपास रोड, लखीसराय का फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) के विनियमों/मानकों/प्रावधानों के शक्तिधिन सत्र-2020-2021 से डी० फार्म पाठ्यक्रम के 60 सीटों पर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) अगले आदेश तक प्रदान किया जाता है।

विरंजसराज

(शिशिर कुमार मिश्रा)
विशेष कार्य पदाधिकारी


Principal
Sunaina College Of Pharmacy
Lakhisarai, Bihar